पंकज कुमार
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ–226 001
☎(O) 0522–2288377
CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0 : /पाकालि /2610/आर–98 दिनांक 10/7/ 2024

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वान्चल,
विद्युत वितरण निगम लि0 केस्को
लखनऊ/मेरठ/आगरा/वाराणसी/कानपुर

अति महत्वपूर्ण

विषयः– डिस्कॉम के अन्तर्गत अप्रयोज्य लाइन, सबस्टेशन, उपकेन्द्र एवं अन्य भण्डार सामग्री के निस्तारण हेतु ससमय त्वरित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1997–98 (वाणिज्यिक) में सम्मिलित सम्प्रेक्षा प्रस्तर 3स11.2(I)(II)(III) "बेकार हुयी लाइनों को उखाड़े न जाने के कारण लाइन सामग्री की चोरी" के माध्यम से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के सम्बन्ध में निम्न तथ्य संज्ञान में आये हैः–

1. गोण्डा–इटियाथोक–बलरामपुर 33 के0वी0 लाइन रेल पोल पर वर्ष 1958 में बनी थी, जोकि मार्च 1979 में बलरामपुर में 132 के0वी0 उपकेन्द्र आरम्भ होने के बाद निष्प्रयोज्य हो गयी थी। अक्टूबर 1992 में वि0वि0खं0 गोण्डा द्वारा सत्यापन कराया गया, जिसमें 13.35 लाख रू0 मूल्य का 49.33 किलोमीटर ए0सी0एस0आर0 डाक संवाहक तथा 08 रेल खम्भे गायब पाये गये। सितम्बर 1994 में खण्ड ने पुनः लाइन का भौतिक सत्यापन किया और 3.79 लाख रू0 मूल्य की अन्य सामग्री (2.70 लाख रू0 के 43 खम्भे तथा 1.09 लाख रू0 का 2.90 किलोमीटर ए0सी0एस0आर0 डाक संवाहक) गायब पायी गयी, जिससे डिस्काम को 17.14 लाख रू0 की हानि हुयी।

2. जगदीशपुर–जायस लाइन (5.7 किलोमीटर) को उखाड़े जाने का अनुमोदन किया गया। उपरोक्त लाइन 10 वर्षों से भी अधिक समय अर्थात जगदीशपुर खण्ड के सृजन (1987) से पूर्व विद्युत विहीन थी। 1995 में तकनीकी समिति के लाइन उखाड़ने सम्बन्धी अनुमोदन के उपरान्त 1995 में ही लाइन उखाड़ने की निविदा कर दी गयी थी। जगदीशपुर–जायस लाइन (5.7 किलोमीटर) का कुल मूल्य 1997–98 की दर सूची के अनुसार लगभग रू0 17.48 लाख होता है, जिसमें से कुल रू0 6.88 लाख लाइन की सामग्री भण्डार खण्ड में जमा करा दी गयी। शेष लगभग रू0 10.60 लाख की सामग्री तकनीकी समिति के वर्ष 1995 में लाइन उखाड़े जाने के निर्णय लेने के पूर्व अर्थात वर्ष 1995 तक चोरी हो गयी थी।

3. रिसिया–नानपारा लाइन को जुलाई 1989 में उखाड़े जाने के आदेश दिये गये। उक्त लाइन रू0 12.15 लाख मूल्य की लाइन सामग्री सहित अपूर्ण अवस्था में पड़ी थी। अभिलेख पर बिना किसी कारण के लाइन को अक्टूबर 1998 तक उखाड़ा नहीं गया। इस बीच रू0 5.29 लाख के मूल्य की सामग्री गायब हो गयी तथा सम्बन्धित दोषी कार्मिकों के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके ऊपर कोई कार्यवाही भी नहीं हो सकी।

उपरोक्त प्रकरणों में तत्कालीन सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ससमय वांछित अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित न कराने के फलस्वरूप विभाग को कुल रू0 33.03 लाख की हानि उठानी पड़ी। तत्कालीन सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कृत उपरोक्त कृत्य घोर लापरवाही एवं कार्य के प्रति उदासीनता का परिचायक है। यदि उक्त प्रकरण में ससमय अपेक्षित कार्यवाही सम्पादित की गयी होती तो विभाग को रू0 33.03 लाख की हानि से बचाया जा सकता था।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता हैं कि आपके अधीनस्थ **डिस्कॉम के अन्तर्गत अप्रयोज्य लाइन, उपकेन्द्र एवं अन्य भण्डार सामग्रियाँ आदि जो निष्प्रयोज्य अवस्था में हैं,** उनको तत्काल प्रभाव से विभागीय भण्डार गृह में वापस लेने एवं अन्य कार्यों में उपयोग करने तथा निष्प्रयोज्य सामग्री को नियमानुसार निस्तारण कराने की अपेक्षित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों का उत्तरदायित्व

निर्धारण कर उनके विरूद्ध यथा आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही/वसूली की कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करें जिससे विभाग को इस प्रकार की होने वाली हानि से बचाया जा सके।

(पंकज कुमार)
प्रबन्धक निदेशक

पत्र सं0 :325/पाकालि /2610/आर–98 तद् दिनांक:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (वितरण), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (तकनीकी), मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वान्चल, वि0वि0नि0लि0 एवं केस्को, लखनऊ/मेरठ/आगरा/वाराणसी एवं कानपुर।उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभि०/अधीक्षण अभि०/अधि०अभि० वितरण क्षेत्र।
4. समस्त अधीक्षण अभि०/अधि० अभि० स्टोर।
5. अधिशासी अभियन्ता (कैप), उ० प्र० पा० का० लि० शक्ति भवन लखनऊ

(पंकज कुमार)
प्रबन्धक निदेशक

PC-610/94/2003/VP/605/PK